



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 768]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2003/भाद्र 4, 1925

No. 768]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2003/BHADRA 4, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2003

आय-कर

का.आ. 974(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 206 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्रोत पर काटे गए कर की इलेक्ट्रानिक विवरणी फाइल करने के लिए निम्नलिखित स्कीम विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना---

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम “ स्रोत पर काटे गए कर की इलेक्ट्रानिक विवरणी फाइल

करना स्कीम, 2003” है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

(3) यह ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होगी, जो आय कर स्रोत पर काटे गए कर की विवरणी

अधिनियम, 1961 की धारा 206 की उपधारा (2) के अधीन कंप्यूटर मीडिया पर फाइल करते

हैं ।

2. परिभाषाएं-- इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (1) “अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;
 - (2) “बोर्ड” से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है;
 - (3) “कंप्यूटर मीडिया” से कोई फ्लॉपी (3½ इंच और 1.44 एमबी धारिता) या सी.डी.रोम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए ई-फाइलिंग प्रशासक द्वारा अभिहित किसी सेवाप्रदायकर्ता को इलेक्ट्रानिक डाटा का ऑन लाइन डाटा पारेषण भी हैं;
 - (4) “ई-कटौतीकर्ता” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्रोत पर आय की कटौती के लिए उत्तरदायी है जिससे इस स्कीम के अधीन ई-स्रोत पर काटे गए कर की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है ;
 - (5) “ई-फाइलिंग प्रशासक” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो इस स्कीम के प्रशासन के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अभिहित आय-कर आयुक्त की रैंक से नीचे का नहीं है ;
 - (6) “ई-स्रोत पर काटा गया कर मध्यवर्ती” (ई - टीडीएस मध्यवर्ती) से ऐसा व्यक्ति, जो एक कंपनी है, अभिप्रेत है जिसे बोर्ड द्वारा स्कीम के अधीन ई- टीडीएस मध्यवर्ती के रूप में प्राधिकृत किया गया है ;
 - (7) “ ई-स्रोत पर काटा गया कर विवरणी” (ई - टीडीएस विवरणी) से अधिनियम की धारा 206 के अधीन फाइल की जाने वाली कोई विवरणी अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन यथा विहित प्ररूप संख्यांक 27क में घोषणा द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित है ;
 - (8) “नियम” से आय - कर नियम, 1962 अभिप्रेत है;
 - (9) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं ।
3. ई - टीडीएस विवरणी का तैयार किया जाना--(1) ई-कटौतीकर्ता, ई-टीडीएस विवरणी तैयार करने के लिए इन नियमों के अधीन विहित सुसंगत प्ररूपों का उपयोग करेगा ।

- (2) ई-कटौतीकर्ता ई-फाइलिंग प्रशासक द्वारा उपबंधित की जाने वाली आंकड़ा संरचना के अनुसार अपनी ई-टीडीएस विवरणी तैयार करेगा ।
 - (3) ई-टीडीएस विवरणी तैयार करते समय ई-कटौतीकर्ता अपनी स्थायी खाता संख्या और कर कटौती खाता संख्या तथा उन सभी व्यक्तियों के स्थायी खाता संख्यांक भी कोट करेगा जिनकी बाबत उसके द्वारा कर की कटौती की गई है, उन मामलों के सिवाय जिनको धारा 139 के अधिनियम की उपधारा (5क) के पहले परंतुक या धारा 139 की उपधारा (5ख) के दूसरे परंतुक लागू होते हैं ।
 - (4) ई-कटौतीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नियमों के अधीन विहित स्रोत पर काटे गए कर की विवरणी के प्ररूपों के सभी स्तंभ, सम्यक् रूप से और सही रूप से भरे गए हैं ।
 - (5) ई-टीडीएस विवरणी तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए प्रत्येक कंप्यूटर मीडिया पर ई-कटौतीकर्ता का नाम, स्थायी खाता संख्यांक, कर कटौती खाता संख्यांक और पता, वह अवधि जिससे विवरणी संबंधित है, विवरणी का प्ररूप संख्यांक और जहां एक से अधिक ऐसे मीडिया के वाल्यूमों का उपयोग किया जाता है वहाँ उक्त मीडिया का वाल्यूम संख्या उपदर्शित करते हुए एक लेबल लगा होगा ।
 - (6) ई-कटौतीकर्ता द्वारा ई - टीडीएस विवरणी के प्रत्येक प्ररूप के लिए पृथक् कंप्यूटर मीडिया का उपयोग किया जाएगा ।
4. **ई - टीडीएस विवरणी का प्रस्तुत किया जाना.**- (1) ई - कटौतीकर्ता, ई - टीडीएस मध्यवर्ती को कंप्यूटर मीडिया पर ई- टीडीएस विवरणी इन नियमों में यथाविहित प्ररूप संख्या 27क में घोषणा द्वारा समर्थित, पेपर फॉरमेट में प्रस्तुत करेगा:
- परंतु ई - टीडीएस विवरणी तैयार करने के लिए ई - कटौतीकर्ता द्वारा किसी कम्प्रेषन सॉफ्टवेयर का उपयोग किए जाने की दशा में वह उसी कंप्यूटर मीडिया पर ई - टीडीएस विवरणी के साथ ऐसा कम्प्रेषन सॉफ्टवेयर भी प्रस्तुत करेगा ।

- (2) उस दशा में जहाँ ई - कटौतीकर्ता की इस प्रयोजन के लिए ई - फाइलिंग प्रशासक द्वारा अभिहित ई - टीडीएस मध्यवर्ती के सेवाप्रदायकर्ता के साथ ऑन लाइन संयोजकता है, वहाँ वह ऐसे सेवाप्रदायकर्ता को सीधे ही ई - टीडीएस विवरणी का इलैक्ट्रानिक डाटा संप्रेषित कर सकेगा और ई - टीडीएस विवरणी मध्यवर्ती को पृथक् रूप से पेपर फारमेट पर प्ररूप संख्यांक 27क भेज सकेगा ।
5. ई - टीडीएस मध्यवर्ती द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया.- (1) ई - टीडीएस मध्यवर्ती ई - कटौतीकर्ता से प्ररूप संख्यांक 27क में पेपर फारमेट में घोषणा के साथ ई - टीडीएस विवरणी प्राप्त करेगा ।
- (2) ई - टीडीएस मध्यवर्ती उसके द्वारा प्राप्त ई - टीडीएस विवरणी पर फारमेट स्तर विधिमान्यकरण का निष्पादन करेगा और नियंत्रण जांच करेगा तथा उसके सफलतापूर्वक पूरा होने पर, ई - फाइलिंग प्रशासक ई - कटौतीकर्ता को अनंतिम रसीद जारी करेगा ।
- (3) ई - टीडीएस मध्यवर्ती ई - टीडीएस विवरणी प्रयोजन के लिए ई - फाइलिंग प्रशासक द्वारा अभिहित सेवाप्रदायकर्ता को ई - टीडीएस विवरणी पर डाटा अपलोड करेगा और यह जांच करेगा कि बैंक में स्रोत पर काटे गए कर के निक्षेप से संबंधित विहित विशिष्टियां और यह कटौती करने वाले का स्थायी खाता संख्यांक ई - टीडीएस विवरणी में दिया गया है या नहीं।
- (4) सफलतापूर्वक जांच के पूरा हो जाने पर, ई - टीडीएस विवरणी का डाटा ई - टीडीएस मध्यवर्ती द्वारा ई- फाइलिंग प्रशासक को प्ररूप संख्यांक 27क में घोषणा के साथ पारेषित किया जाएगा और जारी की गई अनंतिम रसीद को ई - टीडीएस विवरणी की पावती समझा जाएगा ।
- (5) जहाँ बैंक में स्रोत पर काटे गए कर के निक्षेप के ब्यौरे, स्थायी खाता संख्यांक, कर कटौती खाता संख्यांक या कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे ई - टीडीएस विवरणी में नहीं दिए गए हैं वहाँ ई- फाइलिंग प्रशासक ई - कटौतीकर्ता को एक कमी ज्ञापन इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करेगा कि उसके प्राप्त होने के सात दिन के भीतर कमियां दूर की जाएं ।
- (6) उस दशा में जहाँ कमी ज्ञापन में उपदर्शित कमी सात दिन के भीतर दूर कर दी जाती है, वहाँ ई - टीडीएस मध्यवर्ती द्वारा ई - टीडीएस विवरणी पर डाटा ई - फाइलिंग प्रशासक

को पारेषित किए जाएंगे और ई - टीडीएस विवरणी की अनंतिम रसीद को पावती समझा जाएगा । अनंतिम रसीद जारी करने की तारीख, ई - टीडीएस विवरणी फाइल करने की तारीख समझी जाएगी ।

- (7) उस दशा में जहाँ ई - फाइलिंग प्रशासक द्वारा अनंतिम रसीद जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर कोई कमी ज्ञापन जारी नहीं किया जाता है वहाँ जारी की गई अनंतिम रसीद को ई- टीडीएस विवरणी की पावती समझा जाएगा और अनंतिम रसीद जारी करने की तारीख ई - टीडीएस विवरणी फाइल करने की तारीख समझी जाएगी ।
- (8) जहाँ कमी ज्ञापन में उपदर्शित कमियों को ई - कटौतीकर्ता द्वारा सात दिन के भीतर दूर नहीं किया जाता है, वहाँ ई - टीडीएस मध्यवर्ती ई - फाइलिंग प्रशासक को उसे संसूचित करेगा और डाटा ई - फाइलिंग प्रशासक को पारेषित करेगा जिस पर निर्धारण अधिकारी, अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (4) के अधीन यथाअपेक्षित कटौतीकर्ता को सम्यक् अवसर दिए जाने के पश्चात् विवरणी रूप में विवरणी को अविधिमान्य विवरणी रूप में विवरणी घोषित करने के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा ।
- (9) उस दशा में जहाँ निर्धारण अधिकारी द्वारा सूचित की गई त्रुटियां पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए शुद्ध कर दी जाती हैं वहाँ अनंतिम रसीद जारी करने की तारीख ई - टीडीएस विवरणी फाइल करने की तारीख समझी जाएगी ।

6. ई - टीडीएस मध्यवर्ती के साधारण दायित्व.- (1)ई - टीडीएस मध्यवर्ती ई - टीडीएस विवरणी का ई - फाइलिंग प्रशासक को सही पारेषण सुनिश्चित करेगा:

परंतु ई - टीडीएस मध्यवर्ती ई - कटौतीकर्ता द्वारा तैयार की गई स्रोत पर काटे गए कर की विवरणी में किसी त्रुटि या लोप के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

- (2) ई - टीडीएस मध्यवर्ती उस सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें विवरणी फाइल की जानी अपेक्षित है, एक वर्ष की अवधि के लिए ई - टीडीएस विवरणी के इलेक्ट्रानिक डाटा ऐसे फारमेट में जो ई - फाइलिंग प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिधारित करेगा ।
- (3) ई - टीडीएस मध्यवर्ती उस सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें विवरणी फाइल की

जानी अपेक्षित है, एक वर्ष की अवधि के लिए उसके द्वारा फाइल की गई विवरणी की बाबत कमी ज्ञापन और जारी की गई अनंतिम रसीद के संबंध में जानकारी प्रतिधारित करेगा।

(4) ई - टीडीएस मध्यवर्ती उस जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा जो उसके कब्जे में, इस स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान तब के सिवाय जब ई - कटौतीकर्ता, निर्धारण अधिकारी या ई - फाइलिंग प्रशासक द्वारा अनुज्ञा दी गई हो, आती है।

(5) ई - टीडीएस मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी कर्मचारी, अभिकर्ता, विशेषाधिकारी आदि इस स्कीम के सभी उपबंधों और ई - फाइलिंग प्रशासक द्वारा जारी सभी निदेशों का पालने करते हैं।

7. ई - फाइलिंग प्रशासक की शक्तियां:- पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ई- फाइलिंग प्रशासक-

(1) स्कीम के डाटा के सुरक्षित संग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, आंकड़ा संरचनाएं, फारमेट और मानक विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) इस स्कीम की तकनीकी अपेक्षाएं जिसके अन्तर्गत ई - टीडीएस विवरणी मध्यवर्ती, के कार्य का पुनर्विलोकन करने, किन्हीं शिकायतों का सत्यापन करने, उनके द्वारा जारी की गई विज्ञापन सामग्री की छानबीन और ऐसे अन्य मामले, जो वह ठीक समझे, भी हैं, ई - टीडीएस मध्यवर्ती द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

8. बोर्ड की शक्तियां - बोर्ड किसी ई - फाइलिंग मध्यवर्ती के प्राधिकार को अनुचित आचरण, दुर्यपदेशन, अनैतिक व्यवहार, कपट या ई - कटौतीकर्ता को सेवा में साबित कमी पाए जाने या ऐसे अन्य आधारों पर जो वह ठीक समझे प्रतिसंहत कर सकेगा।

[अधिसूचना सं. 205/2003/फा. सं. 142/31/2003-टीपीएल]

दीपिका मित्तल, अवर सचिव